भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2016

दिनांक 06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वापक दवाओं की बिक्री

2016. डॉ. अमर सिंह:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कुछ भेषजों, विशेषकर वे जो रात में कार्यशील हैं, वैध चिकित्सक पर्ची के बिना स्वापक दवाएं बेच रहे हैं जिससे उनके दुरुपयोग का खतरा पैदा हो रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्राय: दर्द प्रबंधन अथवा व्याग्रता के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली स्वापक दवाओं का मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भी दुरुपयोग किया जा सकता है, सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): औषधियों की बिक्री और वितरण के लिए लाइसेंस संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को लाइसेंस की शर्तों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकार प्राप्त है।

केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को रात्रि में बिना नुस्खे के स्वापक औषधियों की बिक्री के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, नुस्खे वाली औषधियों की बिना नुस्खे के बिक्री के संबंध में समय-समय पर इक्का-दुक्का शिकायतें प्राप्त होती हैं और इन्हें उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों (एसएलए) को अग्रेषित कर दिया जाता है।

(ग): सीडीएससीओ और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों (एनडीपीएस) के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित विनियामक उपाय किए हैं -

(i) एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी स्वापक औषधियों और कतिपय लत लगाने वाली औषधियों को औषध नियम, 1945 के लागू उपबंधों के अंतर्गत नुस्खे वाली औषधियों के रूप में

विनियमित किया जाता है जिसमें यह अधिदेश दिया गया है कि ऐसी औषधियों को केवल पंजीकृत चिकित्सक (आरएमपी) के वैध नुस्खे पर खुदरा बिक्री की जानी होती है।

(ii) राज्य औषध नियंत्रकों/अन्य हितधारकों को पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनरों के बिना नुस्खे के खुदरा दुकानों द्वारा नुस्खे वाली औषधियों की बिक्री से संबंधित चिंताओं के बारे में संवेदनशील बनाया गया है। ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमों की अपेक्षाओं का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए राज्य औषध नियंत्रकों और अन्य हितधारकों को विभिन्न नोटिस/एडवाइजरी/पत्र जारी किए गए हैं।

(iii) इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने देश में मादक पदार्थ के खतरे को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(क) स्वापक औषधियों के दुरुपयोग और इसके दुष्प्रभावों के बारे में समाज के कमजोर वर्गों को जागरूक बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एनसीबी के प्रतिनिधियों का स्कूलों में दौरा।

(ख) एनसीबी फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के माध्यम से मादक मादक पदार्थ के उपयोग के बारे में जागरूकता: मादक पदार्थ के दुरुपयोग और मादक पदार्थ के दुर्व्यापार के दुष्प्रभावों के बारे में जनता/छात्रों को सूचित करना।

(ग) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मादक पदार्थ के दुरुपयोग और दुर्व्यापार के दुष्प्रभावों के बारे में आम जनता/विद्यार्थियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए एनसीबी की सभी क्षेत्रीय इकाईयों में प्रत्येक वर्ष 26 जून को मादक पदार्थ के दुरुपयोग और दुर्व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन करता है।

(घ) पूरे देश में शैक्षिक संस्थाओं में जागरूकता कार्यक्रमों के प्रसार के लिए गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से नियमित रूप से रैलियां, नाटक आयोजित किए जाते हैं।

(ङ) विशेष अवसरों पर आम जनता को मादक पदार्थों के बारे में जागरूकता के लिए एसएमएस अलर्ट मोबाइल सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भेजे जाते हैं।

(च) मादक पदार्थों के दुरुपयोग और दुर्व्यापार के दुष्प्रभावों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए देश में विभिन्न सरकारी संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों के समन्वय से कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं

****